पूर्व मध्य रेल

कार्यालय,
मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर
दिनांक– 17.08.2025

अधिसूचनाः–

विषयः– समस्तीपुर मंडल के चिकित्सा विभाग में संविदा के आधार पर सेवानिवृत कर्मचारियों से विकल्प के माध्यम से पारा मेडिकल कैटेगरी में उपलब्ध रिक्त पदों को भरने के संबंध में।

संदर्भः– रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं0–61/2025,दिनांक–30.06.2025।

संदर्भित रेलवे बोर्ड के पत्र के शर्तों के अधीन समस्तीपुर मंडल के चिकित्सा विभाग में स्वीकृत पारा मेडिकल के निम्नलिखित कोटि में रिक्त पदों के विरूद्ध रेल सेवा से सेवानिवृत पारा मेडिकल कर्मचारी को उनके विकल्प के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार देय मासिक पारिश्रमिक के आधार पर Re-Engagement (पुनर्नियोजन)करने का निर्णय लिया गया है–

क्रम सं0	पद का नाम	पदों की संख्या
1	स्टाफ नर्स	04
2	फार्माशिष्ट (Entry Grade)	04

पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/युनिटों से सेवानिवृत रेलवे कर्मचारी जो निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों को पूरा करते हो,से अनुलग्नक क के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाता है–

1. चिकित्सा विभाग से सेवानिवृत वैसे रेलवे कर्मचारी, जो पहले से ही उस विशिष्ट पद पर काम कर चुके हैं, जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है।
2. वैसे कर्मचारी, जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत/पदच्युत या रेल सेवा से बर्खास्त किये गये हों और संरक्षा संबंधित सेवानिवृत योजना (SRSS)/संरक्षा कोटियों पर लागू उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत योजना (LARGESS) के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत हुए हो,वैसे कर्मचारी आवेदन करने के पात्र नहीं होगें।
3. आवेदित पद के लिए निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में फिट पाए जाने के उपरांत ही अंतिम रूप से पुनर्नियोजित किया जाएगा।
4. सेवानिवृत कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित है।
5. पुनर्नियोजित किए गए सेवानिवृत कर्मचारी का मासिक पारश्रिमक का निर्धारण उसके /उसकी अंतिम आहरित वेतन (अर्थात Basic Pay+DA)से पेंशन की राशि घटाकर की जाएगी। वार्षिक वेतन बृद्धि /मॅहगाई भत्ता /एचआरए देय नहीं होगा।
6. निवास और कार्यस्थल के बीच आवागमन के प्रायोजन के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक सुनिश्चित राशि की अनुमति दी जाएगी जो सेवानिवृति के समय नियुक्त व्यक्ति पर लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।
7. सेवा के प्रति पूर्ण महीने के लिए 1.5 दिन की दर से सवैतनिक अनुपस्थिति अवकाश की अनुमति दी जाएगी।

जारी पेज नं0–2 पर

8. सेवानिवृत कर्मचारी का पुनर्नियोजित हेतु उपयुक्तता का निर्धारण नामित समिति द्वारा उनके पुनर्नियोजित से व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से भरा जाएगा।
9. आरआरबी/आरआरसी से चयनित उम्मीदवार या स्थानांतरण/पदोन्नति पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने पर पुनः नियुक्ति सेवानिवृत कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा।
10. प्रशासन पुनःनियुक्त सेवानिवृत कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र है।यदि उनका प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है,तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त किया जा सकता है।
11. पुनर्नियोजित कर्मचारियों के काम के घंटे नियमित कर्मचारियों के समान होगा।
12. ऐसे पुनःनियोजन की अवधि को किसी भी प्रायोजन के लिए सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा जैसा कि नियमित सेवारत कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है।
13. कर्मचारियों की पुनःनियोजन पीएलबी या किसी अन्य अतिरिक्त लाभ के पात्र नहीं होगें। इन्हें ईसीए,पीडब्लू भुगतान के तहत किसी भी कवरेज के लिए कवर नहीं किया जा सकता है।
14. ग्रेच्युटी अधिनियम या रेल सेवा के लिए स्वीकार्य कोई अन्य वैधानिक अधिनियम पुनर्नियोजित कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
15. पुनर्नियोजित कर्मचारी किसी भी कल्याण योजना के अर्थात सीजीए के अंतर्गत कवर नहीं होगें।
16. पुनर्नियोजित कर्मचारी नियमित की तरह स्वीकार्य किसी भी अग्रिम के हकदार नहीं होगें।
17. यदि पुनर्नियोजित कर्मचारी के कारण रेल प्रशासन को किसी भी प्रकार की आर्थिक क्षति होती है, तो यह राशि कर्मचारी को रेलवे खाते में जमा करना होगा अन्यथा इसे देय पेंशन रिलीफ से समायोजित कर लिया जाएगा।
18. पुनर्नियोजित कर्मचारी से cash Handlig का कोई भी कार्य नहीं करया जाएगा।
19. किसी भी प्रकार के अनुशासनहीनता,कर्तव्यों के प्रति शिथिलता तथा आचरण नियम के उल्लंधन के दोषी पाए जाने पर बिना किसी नोटिस, show Cause या Explanation के इनकी सेवा समाप्त किया जा सकता है।
20. पुनर्नियोजित कर्मचारी इस बात का ख्याल रखेगें कि आपकी पुनर्नियोजन पूर्णतः अस्थायी है।
21. आपके पुनर्नियोजन से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा समस्त विनिर्दिष्ट नियम आप पर लागू होगें तथा भविष्य में भी समय–समय पर पुनर्नियोजन से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नियमों उपनियमों के तहत आपकी पुनर्नियोजन संचालित होगी एवं आप इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होगें।
22. चनित कर्मचारियों को उनके संबंधित शाखा अधिकारी/वरिष्ठ पर्यवेक्षक द्वारा उनके लिए निर्धारित कार्यों को पूरा करना अनिवार्य होगा।
23. आरआरबी/आरआरसी से चयनित उम्मीदवारों के शामिल होने या नियमित पोस्टिंग पर कर्मचारियों को स्थानांतरण/पदोन्नति पर या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या पद सरेंडर के कारण या जनशक्ति नियोजन के कारण प्रशासन को सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, तो पुनर्नियोजित सेवानवृत कर्मचारियों को सेवा से निरंतरता का अधिकार नहीं होगा।

इच्छुक सेवानिवृत कर्मचारी अपना आवेदन निम्न संलग्न करते हुए दिनांक– 10.10.2025 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष ईजीआरएस के माध्यम से जमा करेंगें,उक्त तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित प्रतियॉ संलग्न होनी चाहिएः–

1. सेवा प्रमाण पत्र 2.पेंशन पहचान पत्र 3. पेंशन भुगतान आदेश 4. अंतिम वेतन पर्ची 5. अंतिम पेंशन पर्ची
6. बैंक पासबुक की छायाप्रति 7.नवीनतम चार पासपोर्ट साईज फोटो 8. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छाया प्रति 9. शैक्षणिक व तकनीकि योग्यता की छायाप्रति ।

संलग्नकः– अनुलग्नक–क

अतः पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों /युनिटों से सेवानिवृत वैसे कर्मचारी जो उपरोक्त सभी नियमों एवं शर्तों को पूरा करते हो एवं सहमत हो तो, वे अपना आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा अनुलग्नक–क के माध्यम से सभी संबंधित प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दिनांक– 10.10.2025 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करेगें, जिसमें लिफाफे पर सबसे ऊपर " पुनर्नियोजन हेतु आवेदित पद " का उल्लेख करते हुए आवेदन दे सकते हैं। दिनांक– 10.10.2025 के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन भेजने का पताः–

सहायक कार्मिक अधिकारी–।।
मंडल रेल प्रबंधक,कार्यालय
पूर्व मध्य रेल,समस्तीपुर ।
पिन कोडः– 848101

Signed by
Arun Kumar Mandal
Date: 09-09-2025 16:07:45

(अरूण कुमार मंडल)
सकाधि–।।
कृते मंडल रेल प्रबंधक(का0)
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महाप्रबंधक (का0),पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।
2.महाप्रबंधक/सतर्कता/पूमरे/हाजीपुर।
3.प्रमुचिनि/पूमरे/हाजीपुर।
4.चिकित्सा निदेशक/सीएसएसएच/पटना।
5.मुचिधि/समस्तीपुर,.वमंचिधि/सहरसा एवं बापूधाम मोतिहारी,समंचिधि/नरकटियागंज एवं सीएमपी/दरभंगा ।
6.मंडल रेल प्रबंधक(का0),पूर्व मध्य रेल,पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल,दानापुर,धनबाद मंडल, सोनपुर मंडल।
7.मुख्य जनसंपर्क अधिकारी,पूमरेल/हाजीपुर एवं समस्तीपुर – कृपया इसे अविलंब प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाय।
8. मंडल मंत्री /इसीआरईयू,ओबीसी, एससी एवं एस टी एसोशिएसन समस्तीपुर मंडल।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का0)
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर

अनुलग्नक–क

पूर्व मध्य रेल

सेवा में,
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक),
मंडल रेल प्रबंधक,कार्यालय,
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर।
पिन कोड– 848101

विषयः– पूर्व मध्य रेल से सेवानिवृत पारा मेडिकल कर्मचारियों के मंडलीय रेल चिकित्साल्य/समस्तीपुर मंडल में पुनर्नियोजन हेतु आवेदन–

संदर्भः– मंडल रेल प्रबंधक(का0)/समस्तीपुर के अधिसूचना सं0–**ECR-SPJ0PERS(MED)/19/ 2024 / (Computer No. 283421)** दिनांक– 27.08.2025

मैं पूर्व मध्य रेल के मंडलीय रेल चिकित्सालय/समस्तीपुर में उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा विभाग के अधीन पदनाम–..... ..... के पद पर पुनर्नियोजन हेतु दिनांक–..... को आवेदन करता/करती हूँ। मेरा/मेरी सेवा विवरण निम्नवत हैः–

1. नामः–
2. पिता/पति का नामः–
3. सेवानिवृति के समय धारित पद/वेतन लेवल एवं कार्यस्थलः–
4. किस मंडल/विभाग/युनिट से सेवानिवृत हुए :–
5. जन्म तिथि(प्रमाण पत्र संलग्न करें):–
6. नियुक्ति तिथिः–
7. नियमित नियुक्ति तिथिः–
8. सेवानिवृति तिथिः–
9. शैक्षणिक योग्यताः–
10. पे बैण्ड + ग्रेड पे/पे लेवल(सेवा निवृति के समय):–
11. अंतिम आहरित मूल वेतन दर ,पे बैंड /वेतन लेवल–
12. आवेदित कोटि/पद पर की गई सेवा अवधिः–
13. यदि सामान्य सेवा निवृति के अलावे सेवानिवृत हुए है,तो निम्न पर चिह्न लगावेंः–

Voluntry Retiremen	Compulsory Retirement/ Dismissal/Removal	Largess/ SRSS	Other

14. पत्राचार का पताः–

15. मोबाईल नंबर–1.
    2.
    एवं ईमेल आईडी नम्बरः–

16. बेसिक पेशनः—
17. सेवानिवृति के समय मेडिकल कोटि—
18. पीपीओ नंबर—
19. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजः—

1. सेवा प्रमाण पत्र
2. पेशन पहचान प्रमाण पत्र
3. पेंशन भुगतान आदेश
4. अंतिम वेतन पर्ची
5. अंतिम पेंशन पर्ची
6. बैंक पास बुक की छाया प्रति
7. नवीनतम चार पासपोर्ट साईज फोटो
8. आधार कार्ड एव पैन कार्ड की छाया प्रति
9. शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र की छाया प्रति

मैं एतद द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। यदि किसी प्रकार की गलत सूचना पाया जाता है तो मैं दंडात्मक कारवाई के उत्तरदायी हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि अधिसूचना में दिए गए निर्धारित नियमों एवं शर्तों को निष्ठापूर्वक पालन करूँगा/करूँगी। मैं **SRSS/Largess , Compulsory Retirement/Dismissal/Removal** एवं **Medical Unfit for all categories** से सेवानिवृत नहीं हुआ/हुई हूँ। 15 दिनों की पूर्व सूचना पर बिना कोई स्पष्टीकरण या बिना कारण बताये मेरा पुनर्नियोजन समाप्त किया जा सकता है।

सेवानिवृत कर्मचारी का हस्ताक्षर
पूरा नाम—
पूर्व का पदनाम—
पूर्व कार्यस्थल—

दिनांक—
स्थान—